

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-491 /ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ 0 प्र 0 अधि0-1-2017-

आदेश- (177)-2021

लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और मेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 मन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं0-1404/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ 0 प्र 0 अधि0-1-2017-आदेश-(169)-2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) प्रथम पैरा में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 जून" रख दिया जायेगा;
- (ii) प्रथम पैरा में, अंक, अक्षर और शब्द "1 अप्रैल" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "01 जुलाई" रख दिया जायेगा;

आज्ञा से,

Digitally signed by संजीव
मित्तल
Date: Fri May 21 14:13:16 IST
2021 (संजीव मित्तल)
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव